



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 11, 2005/वैशाख 21, 1927

No. 76]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 11, 2005/VAISAKHA 21, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2005

सं० 5-4/2000-ए एण्ड पी (वाल्सू II)—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 10 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है :

### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- (i) यह विनियम "भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2005 ( 2005 का 8) कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियम सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. (i) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के खण्ड 14 के पैरा (iii) के नीचे तालिका 'ख' में "अवर श्रेणी लिपिक" की प्रविष्टि के बाद वर्तमान प्रविष्टि "ड्राइवर" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :

ड्राइवर (ग्रेड-I)  
ड्राइवर (ग्रेड-II)

- (ii) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) के खण्ड 16 के पैरा (i) के अंतर्गत "अवर श्रेणी लिपिक" की प्रविष्टि के बाद वर्तमान प्रविष्टि "ड्राइवर" तथा इसकी तदनरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर

निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी :

ड्राइवर (ग्रेड-I)	-वही-	-वही-
ड्राइवर (ग्रेड-II)	-वही-	-वही-

- (iii) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2001 (2001 का 2) की अनुसूची-II में वर्तमान प्रविष्टि "अवर श्रेणी लिपिक" तथा इसकी तदनरूपी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :

ड्राइवर (ग्रेड-I)	पदोन्नति/सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	(i) 8वीं पास (ii) मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। (iii) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान हो (गाड़ी में छोटी-मोटी खराबी ठीक कर सके)। (iv) मोटर कार चलाने का 12 वर्ष का अनुभव हो।	3050-75-4590 रु० के वेतनमान में ड्राइवर ग्रेड II की 9 वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारियों में से पदोन्नति।	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समकक्ष पद पर तैनात अथवा ड्राइवर ग्रेड-II के रूप में 9 वर्ष की नियमित सेवा वाले कर्मचारी, जो निम्नलिखित अर्हता रखते हों: (i) 8वीं पास हों। (ii) मोटर कार चलाने का वैध लाइसेंस रखते हों। (iii) मोटर मैकेनिक का ज्ञान हो (गाड़ी में आई छोटी-मोटी खराबी ठीक कर सकता हो)।	45 वर्ष से ज्यादा न हो।
----------------------	--------------------------------------	---	---	--	-------------------------------

और उसमें की गई 'ड्राइवर' की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर "ड्राइवर ग्रेड -II" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

- (iv) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम 2001 (2001 का 2) के क्र.सं. 9 पर की गई प्रविष्टि तथा तदनरूपी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :

10.	ड्राइवर (ग्रेड-I)	संयुक्त/उप-सलाहकार (प्र० एवं का०)	अध्यक्ष
	ड्राइवर (ग्रेड-II)	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/(प्र० एवं का०)	सदस्य
		वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी/(जीए)	सदस्य

वर्तमान क्र.सं० 10 को 'क्र.सं० 11' के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा।

राजन सिंगला, सलाहकार (प्र० एवं का०)

[विज्ञापन सं० III/IV/142/2005-असा.]

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th May, 2005

**No. 5-4/2000-A&P (Vol.II)** - In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 36 read with sub section (1) of section 10 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 Of 2001), as follows, namely:

## 1. Short title and commencement:

- (i) This Regulation shall be called "The Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) (4<sup>th</sup> Amendment) Regulation 2005" ( 8 of 2005).
- (ii) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. (i) The following entries shall substitute the existing entry "Driver" appearing after the entry 'Lower Division Clerk' in Table B below para (iii) of clause 14 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001):

Driver (Grade -I)  
Driver (Grade- II)

- (ii) The following entries shall substitute the existing entry "Driver" and its corresponding entries, appearing after the entry 'Lower Division Clerk' under para (i) of clause 16 of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 Of 2001):

Driver (Grade -I)	-do-	-do-
Driver (Grade- II)	-do-	-do-

- (iii) The following entries shall be inserted after the existing entry 'Lower Division Clerk' and its corresponding entries appearing in Schedule - II of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 Of 2001);

Driver (Grade-I)	Promotion / DR / Deputation	(i) 8 <sup>th</sup> Pass (ii) possessing a valid driving licence for motor cars.  (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles). (iv) experience of driving of motor cars for 12 years.	Promotion from amongst the officials with 9 years of regular service in the Driver Grade-II in the pay scale of Rs.3050- 75-4590.	Officials of Central/State/ PSUs holding equivalent post or with 9 years of regular service as Driver Grade- II who possess the following qualifications:- (i) Pass in 8 <sup>th</sup> Standard (ii) possessing a valid driving licence for motor cars (iii) knowledge of motor mechanism (should be able to remove minor defects in vehicles).	Not exceeding 45 years.
---------------------	-----------------------------------	--	---	--	-------------------------------

and the existing entry 'Driver' appearing therein shall be substituted by the entry 'Driver Grade-II'.

- (iv) The following entries shall be inserted in Schedule III of the Telecom Regulatory Authority of India (Officers and Staff Appointment) Regulation 2001, (2 of 2001) after entry at Serial No. 9 and corresponding entries;

10.	Driver (Grade-I)	Jt/Dy Advisor (A&P)	... Chairman
	Driver (Grade-II)	SRO (A&P)	... Member
		SRO (GA)	... Member;

and the existing 'Serial No. 10' shall be renumbered as 'Serial No. 11'.

RAJAN SINGLA, Advisor (A & P)

[ADV T No. III/IV/142/2005-Exty.]